



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 820]
No. 820]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 9, 2003/भाद्र 18, 1925
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 9, 2003/BHADRA 18, 1925

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 9 सितम्बर, 2003

का.आ. 1034(अ).—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ताजी, हिमशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानिटरी) नियम, 1965 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ताजी, हिमशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानिटरी) (तौसरा संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ताजी, हिमशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानिटरी) नियम, 1995 के नियम 2 में,—

(क) उपनियम 2.20 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'2.21 "निदेशक" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षण और क्वालिटी नियंत्रण निदेशक अभिप्रेत है।'

(ख) उपनियम 12.2 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"12.3 निदेशक, अवसिष्ट मानिटरी के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण या किसी अन्य समुचित संगठन की सहायता ले सकेगा।"

[फा. सं. 6/2/2001-ईआई एंड ईपी]

एम. वि. पि. सि. शास्त्री, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मूल नियम का.आ. 730(अ) तारीख 21 अगस्त 1, 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.आ. 415(अ) तारीख 11 अप्रैल, 2002 तथा का.आ. 1029(अ) तारीख 24 सितम्बर, 2002 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2003

S.O. 1034(E).— In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) Rules, 1995, namely:—

1. (1) These rules may be called the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) (Third Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) Rules, 1995, in rule 2,—

(a) after sub-rule 2.20, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“2.21. “Director” means, the Director of Inspection and Quality Control appointed by the Central Government under Section 4 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963;”

(b) after sub-rule 12.2, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“12.3. The Director may take the assistance of Marine Products Export Development Authority (MPEDA) or any other suitable organisation for residue monitoring.”

[F.No. 6/2/2001-EI&EP]

M.V.P.C. SASTRY, Jt. Secy.

Note :—The Principal rules were published *vide* S.O. 759(E) dated 21st August, 1995 and amended *vide* notification S.O. 415(E) dated 11th April, 2002 and *vide* S.O. 1029(E) dated 24th September, 2002.